



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश

(लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म. प्र. के अंतर्गत विभिन्न वर्गों में बैकलॉग रिक्तियों के विरुद्ध
सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हैल्थ (सी.सी.एच.) में प्रवेश एवं
तत्पश्चात कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर के पद पर नियुक्ति के लिए

नियम पुस्तिका
(वित्तीय वर्ष 2021-22)

RULE BOOK

2021-22

**NATIONAL HEALTH MISSION,
MADHYA PRADESH, BHOPAL**

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म. प्र. के अंतर्गत विभिन्न वर्गों में बैकलॉग रिक्तियों के विरुद्ध
सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हैल्थ (सी.सी.एच.) में प्रवेश एवं
तत्पश्चात कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर (Community Health Officer) के पद पर नियुक्ति के लिए

महत्वपूर्ण जानकारी

पात्रता:—

- शैक्षणिक योग्यता** – सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हैल्थ में प्रवेश हेतु:
 - भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थानों से बी.एससी. (नर्सिंग), पोस्ट बेसिक बी.एससी. (नर्सिंग) या जी.एन.एम. उत्तीर्ण उम्मीदवार।
 - भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (Central Council of Indian Medicine), नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थानों अथवा भारतीय विश्वविद्यालयों या संबद्ध महाविद्यालयों से बी.ए.एम.एस., उत्तीर्ण उम्मीदवार जिनकी ईन्टरशिप पूर्ण हो चुकी हो।
- आयु सीमा:**— 21–40 वर्ष (दिनांक 01/05/2021 की स्थिति में)। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन (सिर्फ 'अस्थिबाधित' (OH) श्रेणी में), महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) के लिये अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी।
- मूल निवासी** – आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- ऑनलाईन आवेदन-पत्रों की उपलब्धता** :—दिनांक 15 मई से 31 मई 2021 तक।
- आवेदन करने की अंतिम तिथि** – 31 मई 2021
- सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हैल्थ प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के पश्चात अभ्यर्थियों को सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त किया जाता है। ये संस्थाएं शहरी क्षेत्रों में नहीं हैं। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर सकने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन करें।

सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ प्रशिक्षण सत्र जून-2021, जुलाई-2021 एवं अक्टूबर-2021 चयन परीक्षा हेतु नियम

1. सामान्य :-

- 1.1 ये नियम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश के सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ (CCH) के प्रोग्राम स्टडी सेन्टर में प्रशिक्षण हेतु चयन परीक्षा के नियम कहलायेंगे।
- 1.2 ये नियम उन उम्मीदवारों पर लागू होंगे जो वर्ष 2021 में मध्यप्रदेश के सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ के विभिन्न प्रोग्राम स्टडी सेन्टर में प्रवेश लेना चाहते हैं।
- 1.3 सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ (CCH) प्रशिक्षण के पूर्ण होने एवं प्रशिक्षण की Term End Examination पूर्ण होने के पश्चात आवश्यकतानुसार अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा प्रशिक्षु कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। इस हेतु मानदेय की राशि विभाग द्वारा पृथक से निर्धारित की जायेगी।
- 1.4 प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात अभ्यर्थियों को संविदा आधार पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया जायेगा।
- 1.5 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में संविदा आधार पर कार्यरत उम्मीदवारों का चयन होने पर प्रशिक्षण हेतु प्रवेश लेने से पूर्व उन्हें अपने वर्तमान पद से त्यागपत्र देना होगा।

2. प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध स्थानों का विवरण :-

क्र	प्रवेश प्रक्रिया	कुल सीट	उपलब्ध स्थान	अनारक्षित		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग		अनुसूचित जनजाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़ा वर्ग		दिव्यांग जनों के लिये (6%)			
				355	652	947	266	189*	49	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	क्वी.एच.	एच.एच.
1	जून 2021	585	494	49	24	89	45	129	65	36	18	26	13	0	0	10	0
2	जुलाई 2021	1680	1420	139	70	256	128	372	186	105	53	74	37	0	0	29	0
3	अक्टूबर 2021	585	495	49	24	89	45	129	66	36	18	26	13	0	0	10	0
योग		2850	2409*	237	118	434	218	630	317	177	89	126	63	0	0	49	0

*नोट:-

- 1- अन्य पिछड़ा वर्ग की शेष 441 सीटों का आवंटन मान. उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार किया जायेगा।
- 2- प्रत्येक वर्ग में 33 प्रतिशत सीटें/पद महिलाओं के लिये आरक्षित रहेंगी।

3. परिभाषाएं :-

इन नियमों में -

3.1 टेस्ट से तात्पर्य है

- Online Written Test for Certificate Course In Community Health Selection Test
- सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ प्रशिक्षण के लिये ऑनलाईन लिखित परीक्षा।

3.2 MPMSU से आशय है - Madhya Pradesh Medical Science University.

3.3 आरक्षित वर्ग से तात्पर्य है: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार।

3.4 विभाग से तात्पर्य है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश।

4. प्रशिक्षण हेतु सत्रवार उपलब्ध स्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र :- CCH प्रशिक्षण हेतु प्रोग्राम स्टडी सेन्टर्स एवं उनमें उपलब्ध स्थानों का विवरण (परिशिष्ट –'ब')

4.1 मेरिट रैंक के अनुसार उम्मीदवारों को MPMSU (जून-2021 तथा अक्टूबर-2021 सत्र) अथवा IGNOU (जुलाई-2021 सत्र) आवंटित किया जायेगा।

5. सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हैल्थ में प्रवेश हेतु शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं :-

5.1 भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली अथवा मध्यप्रदेश उपचर्या परिषद (MP Nursing Council) से मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थानों से बी.एससी. (नर्सिंग), पोस्ट बेसिक बी.एससी. (नर्सिंग) या जी.एन.एम. उत्तीर्ण उम्मीदवार, जो मध्यप्रदेश/अन्य राज्य के नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउन्सिल में पंजीकृत हों।

5.2 भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थानों अथवा भारतीय विश्वविद्यालयों या संबद्ध महाविद्यालयों से बी.ए.एम.एस. उत्तीर्ण उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश/अन्य राज्य/केन्द्रीय आयुर्वेद, यूनानी चिकित्सा प्रणाली एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में पंजीकृत हो। बी.ए.एम.एस. उत्तीर्ण उम्मीदवारों को आवेदन के साथ इन्टर्नशिप पूर्ण करने का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

5.3 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश के अंतर्गत संविदा आधार पर पूर्व से कार्यरत आवेदक को सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हैल्थ प्रशिक्षण में प्रवेश के समय अपने वर्तमान पद से त्यागपत्र देना होगा एवं तत्संबंधी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

5.4 उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन करते समय उनके पास प्रवेश हेतु निर्धारित न्यूनतम योग्यता के सभी प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं। चयनित उम्मीदवारों को आवंटित बैच में परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

5.5 आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

6. आरक्षण संबंधी नियम :-

6.1 मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित।

6.2 प्रत्येक वर्ग में 33 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित होंगे।

6.3 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षण का लाभ उन्ही आवेदकों को मिलेगा जिनके द्वारा आवेदन के साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का सर्टिफिकेट अपलोड किया जायेगा।

6.4 दिव्यांग जनों के लिये आरक्षण सिर्फ 'अस्थिबाधित' (OH) श्रेणी में उपलब्ध होगा। विकलांग (दिव्यांग) हेतु आरक्षित पद के लिए जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता (दिव्यांग) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अस्थिबाधिता विकलांगता हेतु अधिकतम सीमा 60 प्रतिशत तक स्वीकार्य होगी।

6.5 माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु वर्तमान में 14 प्रतिशत स्थानों पर चयन प्रक्रिया संचालित की जा रही है। शेष 13 प्रतिशत स्थानों पर चयन की कार्यवाही माननीय न्यायालय के निर्णय के उपरांत सम्पादित की जायेगी।

7. आयु सीमा:- 21-40 वर्ष (दिनांक 01/05/2021 की स्थिति में)। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन, महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) के लिये अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी।

स्पष्टीकरण:- आयु-सीमा की गणना करते समय हाईस्कूल प्रमाण-पत्र (10वीं) या इसकी अंकसूची में जो जन्मतिथि अंकित होगी, उसे ही मान्य किया जावेगा। नोट- यदि उम्मीदवार के जन्मतिथि (Date of birth) का उल्लेख उसके 10वीं प्रमाण पत्र में नहीं किया गया है, तो उम्मीदवार कृपया किसी भी वैध आयु प्रमाण पत्र को अपलोड करें, जो विशेष रूप से आयु प्रमाण के लिए जारी किया गया हो।

8. निरर्हताएं :-

8.1 निम्न संस्थाओं से उत्तीर्ण B.Sc. Nursing मान्य नहीं होगा:-

अ) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU)

- ब) भोज विश्वविद्यालय
स) स्वाध्यायी अथवा Distance Learning विधि से शिक्षा प्राप्त ।
- 8.2 किसी उम्मीदवार की ओर से उम्मीदवार के लिये किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के लिये किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा में उसके उपस्थित होने के लिए/चयन के लिये अयोग्य माना जायेगा ।
 - 8.3 मध्यप्रदेश शासन के अन्तर्गत सेवारत नियमित स्टाफ नर्सस उम्मीदवार इस प्रवेश परीक्षा के लिये पात्र नहीं है ।
 - 8.4 परीक्षा कक्ष में दुर्व्यवहार एवं शांति भंग करने का प्रयास करने पर आवेदक परीक्षा से अयोग्य घोषित किये जा सकेंगे ।
 - 8.5 फर्जी दस्तावेज/दस्तावेज में फेरबदल किया हो/चयन के स्तर पर जानकारी छुपाई हो/सारभूत जानकारी छुपाई हो, तो ऐसे उम्मीदवार को अयोग्य माना जायेगा । चयन निरस्त कर दिया जायेगा ।
 - 8.6 पररूपधारण (इम्पर्सोनेशन) किया हो या किसी अन्य व्यक्ति से पररूपधारण कराया हो, तो परीक्षा एवं चयन से अयोग्य घोषित किया जायेगा ।
 - 8.7 कोई भी उम्मीदवार जिसके विरुद्ध आपराधिक मामला पुलिस/न्यायालय में विचारित है अथवा विभागीय जाँच लंबित है परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये अनर्ह होगा ।
 - 8.8 जिन उम्मीदवारों द्वारा पूर्व में इस प्रशिक्षण हेतु प्रवेश प्राप्त किया गया है उन्हें पुनः प्रवेश की पात्रता नहीं है ।
 - 8.9 जिन बी.ए.एम.एस उम्मीदवारों के द्वारा स्नातक डिग्री के बाद इंटर्नशिप पूर्ण नहीं की है, प्रवेश परीक्षा के लिये पात्र नहीं होंगे ।

9. आवेदन एवं चयन प्रक्रिया :-

- 9.1 उम्मीदवार को 31 मई 2021 के मध्यरात्रि 11:59 बजे तक या उससे पहले एस.ए.एम.एस वेबसाइट www.sams.co.in पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र (ओ.ए.एफ) को भरना और सबमिट करना होगा । किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किये गए आवेदन को वैध नहीं माना जायेगा ।
- 9.2 आवेदन करते समय उम्मीदवारों को निर्धारित न्यूनतम योग्यता के निम्नानुसार सभी प्रमाण पत्र **अपलोड करना** अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा ।
 - 9.2.1 बी.एससी. नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बी.एससी., जी.एन.एम. एवं बी.ए.एम.एस. उत्तीर्ण अंकसूची ।
 - 9.2.2 बी.ए.एम.एस. आवेदकों द्वारा इन्टर्नशिप पूर्ण किये जाने का प्रमाण पत्र ।
 - 9.2.3 रजिस्ट्रार नर्सस काउंसिल/मध्यप्रदेश आयुर्वेद, युनानी चिकित्सा प्रणाली एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड का वैध (जीवित) पंजीयन प्रमाण पत्र । अन्य राज्यों से अर्हताकारी परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवारों को मध्यप्रदेश आयुर्वेद, युनानी चिकित्सा प्रणाली एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में पंजीकृत करने के लिए चयन के बाद एक माह का समय दिया जायेगा ।
 - 9.2.4 10वीं की उत्तीर्ण अंकसूची ।
 - 9.2.5 मूल निवासी प्रमाण-पत्र ।
 - 9.2.6 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मध्यप्रदेश द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र ।
 - 9.2.7 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाणपत्र ।
 - 9.2.8 निःशक्तजन/दिव्यांगता प्रमाणपत्र ।
- 9.3 आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी विवरण सही तरीके से भरे गये हैं और समापन तिथि से पहले ऑनलाइन सफलतापूर्वक जमा किये गये हैं । आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन पत्र पर आवेदक का स्टेट्स "सफलतापूर्वक सबमिट किया गया" प्रदर्शित हो गया है । आधे भरे हुए आवेदन को अपूर्ण माना जाएगा और उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा ।
 - 9.3.1 एक बार ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के बाद किसी भी जानकारी में बदलाव या सुधार के लिए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा । हालांकि, जाँच परिणाम (Screening Outcome) के प्रकाशन के बाद, यदि जाँच परिणाम और उनकी स्थिति के बारे में कोई प्रश्न होगा तो उम्मीदवारों को उनके प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए 2-4 दिन (एनएचएम की अनुमति के आधार पर) दिए जाएंगे । ऑनलाइन मॉड्यूल पर प्रश्न की प्राप्ति के चार कार्यकारी दिवसों के भीतर जाँच समिति उम्मीदवारों के प्रश्नों का जवाब देगी । जाँच समिति के निष्कर्ष के आधार पर, उम्मीदवार की जाँच टिप्पणी बदल सकती है ।
- 9.4 लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवार SAMS वेबसाइट द्वारा एडमिट कार्ड डाउन लोड करना सुनिश्चित करें ।

- 9.5 ई-एडमिट कार्ड को एस.ए.एम.एस एवं एन.एच.एम, की आधिकारिक वेबसाइट क्रमशः www.sams.co.in और www.nhmmp.gov.in से परीक्षा तिथि के सात (7) दिन पहले डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा तिथि की घोषणा पाठ्यक्रम के साथ एस.ए.एम.एस एवं एन.एच.एम, म. प्र. की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।
- 9.6 सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ प्रशिक्षण में चयन परीक्षा हेतु स्ट्रैटेजिक एलायंस मैनेजमेंट सर्विस प्रायवेट लिमिटेड (SAMS) द्वारा ऑनलाईन चयन परीक्षा आयोजित की जायेगी। प्रश्न पत्र में 100 Multiple Choice Questions होंगे। प्रत्येक प्रश्न में उत्तर के 4 विकल्प होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। प्रश्न पत्र की समय अवधि 2 घंटे होगी।
- 9.7 परीक्षा केन्द्र SAMS द्वारा निर्धारित किये जायेंगे।
- 9.8 सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ में प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये SAMS द्वारा आयोजित ऑनलाईन परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
- 9.9 उक्त मानदण्डों के अनुरूप चयनित उम्मीदवारों की संख्या कुल उपलब्ध स्थानों की संख्या से कम होने पर मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आवश्यकतानुसार न्यूनतम अंको की सीमा में कमी करने की कार्यवाही हेतु सक्षम होंगे।
- 9.10 प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर रैंकिंग (मेरिट सूची) निर्धारित की जायेगी एवं रैंक के आधार पर संबंधित वर्ग में उपलब्ध प्रशिक्षण केन्द्र तथा सीट पर प्रवेश दिया जायेगा।
- 9.11 समान अंक होने की स्थिति में निम्न क्रमानुसार वरीयता निर्धारण किया जायेगा –
- 8.10.1 जिस उम्मीदवार की उम्र ज्यादा होगी वह मेरिट में दूसरे उम्मीदवारों से ऊपर होगा।
- 8.10.2 समान उम्र होने की स्थिति में जिस उम्मीदवार का स्नातक/डिप्लोमा परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत ज्यादा होगा वह मेरिट में दूसरे उम्मीदवारों से ऊपर होगा।
- 8.10.3 समान प्रतिशत मार्क होने की स्थिति में जिस उम्मीदवार का 12वीं के प्रतिशत (हायर सेकण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा प्राप्तांक) ज्यादा होगा वह मेरिट में दूसरे उम्मीदवारों से ऊपर होगा।
- 8.10.4 समान प्रतिशत मार्क होने की स्थिति में जिस उम्मीदवार का 10वीं के प्रतिशत (हाई सेकण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा प्राप्तांक) ज्यादा होगा वह मेरिट में दूसरे उम्मीदवारों से ऊपर होगा।

10. प्रोग्राम स्टडी सेन्टर्स आवंटन :-

- 10.1 सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ के प्रशिक्षण के लिये परिशिष्ट – 'अ' अनुसार प्रोग्राम स्टडी सेन्टर चिन्हित हैं। मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा आकस्मिक परिस्थितियों में इन केन्द्रों तथा दर्शायी गई प्रशिक्षण क्षमता में परिवर्तन किया जा सकेगा।
- 10.2 प्रवेश परीक्षा के आवेदन में प्रोग्राम स्टडी सेंटर के स्थान चयन के विकल्प उपलब्ध रहेंगे जिन्हे उम्मीदवार पसंद अनुसार क्रम में भरेंगे परन्तु प्रोग्राम स्टडी सेन्टर परीक्षा परिणाम की मेरिट के आधार पर ही आवंटित किये जायेंगे।
उदाहरण: यदि किसी आवेदक की रैंक 1 है और उसने प्रथम च्वाँईस जिला चिकित्सालय भोपाल (जे. पी. अस्पताल) एवं द्वितीय च्वाँईस कुशाभाऊ ठाकरे नर्सिंग महाविद्यालय भोपाल अंकित है तो उसे जिला चिकित्सालय भोपाल (जे.पी. अस्पताल) आवंटित होगा जिसमें प्रशिक्षण जुलाई से प्रारम्भ होगा। अतः प्रशिक्षण बैच एवं प्रशिक्षण केन्द्र का निर्धारण चयन परीक्षा में 'रैंक' के आधार पर होगा।
- 10.3 आवेदकों को उनकी सुविधानुसार बैच आवंटित नहीं किया जायेगा। यदि आवेदक आवंटित बैच में निर्धारित दिनांक तक प्रवेश नहीं लेते हैं तो उनका चयन निरस्त हो जायेगा।
- 10.4 आवंटन के पश्चात् प्रोग्राम स्टडी सेन्टर का स्थान अपरिवर्तनीय होगा।

11. प्रवेश प्रक्रिया :-

- 11.1 परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात् SAMS के माध्यम से उम्मीदवार अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
- 11.2 आवंटन पूर्णतः प्रावधिक (Provisional) एवं उम्मीदवार के मूल दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत पात्रता के निर्धारण पर आधारित होगा।

- 11.3 सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हैल्थ में प्रशिक्षण हेतु दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया हेतु पृथक से सूचना प्रसारित की जायेगी।
- 11.4 **दस्तावेज परीक्षण:** प्रवेशित उम्मीदवार को प्रोग्राम स्टडी सेन्टर में प्रवेश के लिये स्वयं अपने आवंटन पत्र, आवश्यक मूल दस्तावेजों एवं कोर्स हेतु निर्धारित शुल्क के साथ विनिर्दिष्ट समय सीमा में प्रवेश हेतु प्रस्तुत होना होगा।
- 11.3.1 बी.एससी. नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बी.एससी., जी.एन.एम. एवं बी.ए.एम.एस. उत्तीर्ण अंकसूची एवं इन्टरनशिप कम्प्लीशन सर्टिफिकेट।
- 11.3.2 हाई स्कूल (10वीं) एवं हायर सेकण्डरी स्कूल (12वीं) की अंकसूची।
- 11.3.3 मध्य प्रदेश मूल निवासी प्रमाण-पत्र।
- 11.3.4 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मध्यप्रदेश द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र।
- 11.3.5 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाणपत्र।
- 11.3.6 निःशक्तजन/दिव्यांगता प्रमाणपत्र।
- 11.3.7 रजिस्ट्रार नर्सस काउंसिल/मध्यप्रदेश आयुर्वेद, युनानी चिकित्सा प्रणाली एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड का वैध पंजीयन प्रमाण पत्र। यदि मध्य प्रदेश के मूल निवासी किसी आवेदक ने अन्य राज्यों से अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उसे मध्य प्रदेश में संबंधित बोर्ड में पंजीयन हेतु प्रवेश के पश्चात 1 माह का समय दिया जायेगा। इस अवधि में पंजीयन की कार्यवाही न करने पर उसे स्टायपेंड भुगतान नहीं किया जायेगा। में उन्ही प्रशिक्षणार्थियों को शामिल होने की पात्रता होगी जिनका मध्य प्रदेश में पंजीयन होगा।
- 11.3.8 नवीन पासपोर्ट साईज का सत्यापित फोटो।
- 11.3.9 **बंध पत्र** – रुपये 500/- के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्ररूप में राशि रुपये दो लाख का बंध पत्र जिसमें प्रवेश पश्चात 6 माह का प्रशिक्षण पूर्ण करने एवं हैल्थ एवं वैलनेस सेन्टर पर पदस्थापना उपरांत निरंतर न्यूनतम तीन वर्ष कार्य संपादन की सहमति का उल्लेख हो।
- 11.3.10 मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र (न्यूनतम एम.बी.बी.एस. चिकित्सक द्वारा, प्रशिक्षण में प्रवेश से पूर्व 15 दिवस के भीतर जारी किया हुआ)।
- 11.3.11 NHM में संविदा आधार पर कार्यरत आवेदक द्वारा वर्तमान पद से त्याग पत्र दिये जाने की प्रतिलिपि।
- 11.3.12 सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हैल्थ चयन परीक्षा की अंकसूची एवं प्रवेश पत्र मूलतः एवं सत्यापित छायाप्रति।
- 11.5 किसी भी प्रमाण पत्र की कमी होने की स्थिति में उम्मीदवार अपात्र माना जायेगा एवं प्रवेश नहीं दिया जावेगा। इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।
- 11.6 प्रोग्राम स्टडी सेन्टर में प्रवेश की तिथियां SAMS/NHM वैइसाईट पर प्रदर्शित की जायेंगी। प्रोग्राम स्टडी सेन्टर्स में निर्धारित दिनांक तक उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। जो उम्मीदवार निर्धारित दिनांक तक प्रवेश नहीं लेते हैं उनका चयन निरस्त कर दिया जायेगा एवं वह स्थान प्रतीक्षा सूची से उम्मीदवार को आवंटित कर दिया जायेगा।
- 11.7 गर्भावस्था की स्थिति में उम्मीदवार को आगामी बैच में जिस प्रोग्राम स्टडी सेन्टर में संबंधित वर्ग का स्थान रिक्त होगा उसमें जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ प्रवेश दिया जा सकेगा। ऐसे उम्मीदवारों को वर्तमान प्रवेश परीक्षा के आधार पर अधिकतम अक्टूबर-2021 में प्रवेश दिया जा सकेगा। इन अभ्यर्थियों को तत्संबंधी सूचना आवंटित प्रोग्राम स्टडी सेन्टर्स एवं हैल्थ एण्ड वैलनेस कार्यालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि के पूर्व चिकित्सकीय प्रमाण के साथ देनी होगी।
- 11.8 सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हैल्थ प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने हेतु उम्मीदवारों को दो अवसर प्रदान किये जायेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा प्रशिक्षण के दौरान परीक्षा के प्रथम अवसर तक ही स्टायपेंड, परीक्षा शुल्क आदि अन्य संबंधित व्यय का वहन किया जायेगा। प्रथम बार अनुत्तीर्ण हुये प्रशिक्षणार्थियों को उसी विश्वविद्यालय की आगामी परीक्षा में शामिल होने का दूसरा अवसर मिलेगा। यदि उन्हें प्रशिक्षण कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर्स के रूप में नियुक्त किया गया है तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते ही कार्यमुक्त

कर दिया जायेगा। ऐसे उम्मीदवार यदि स्वयं के व्यय पर दूसरी बार परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उन्हें कम्प्युनिटी हैल्थ ऑफिसर्स के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। दूसरी बार में भी अनुत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को कम्प्युनिटी हैल्थ ऑफिसर पद पर नियुक्त की पात्रता नहीं होगी।

12. प्रशिक्षण संबंधी दिशा निर्देश :-

- 12.1 सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्प्युनिटी हैल्थ में प्रवेश हेतु चयनित उम्मीदवारों को प्रवेश के समय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश के पक्ष में प्रवेश पश्चात् 6 माह का प्रशिक्षण पूर्ण करने एवं हैल्थ एवं वैलनेस सेन्टर पर पदस्थापना उपरांत निरंतर न्यूनतम तीन वर्ष कार्य संपादन करने हेतु 2 लाख रुपये का बंध-पत्र (Bond) निष्पादित किया जाना अनिवार्य होगा। यदि कोई उम्मीदवार प्रशिक्षण/पदस्थापना को छोड़ता है तो उम्मीदवार द्वारा निम्नानुसार राशि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को देय होगी।
- 12.1.1 प्रशिक्षण में प्रवेश लेने के बाद एवं पदस्थापना जॉइन करने के पूर्व प्रशिक्षण व्यय रु 1 लाख 3 हजार राशि देय होगी।
- 12.1.2 पदस्थापना पर कार्य ग्रहण करने के बाद रु 2 लाख।
- 12.2 प्रवेश के समय उम्मीदवार द्वारा प्रशिक्षण हेतु IGNOU/MPMSU का पंजीयन शुल्क रु. 15,000 निर्देशानुसार डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा जो कि उन्हें Term End Exam के बाद वापस कर दिया जायेगा।
- 12.3 स्टाईपेंड – रु. 10,000/प्रति माह प्रति प्रशिक्षणार्थी। छात्रावास की सुविधा होने पर प्रशिक्षण संस्था द्वारा छात्रावास हेतु निर्धारित शुल्क काटकर शेष राशि प्रशिक्षणार्थी को भुगतान की जायेगी। छात्रावास सुविधा ना लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा निर्धारित राशि संबंधित प्रशिक्षण संस्था के माध्यम से प्रदाय की जायेगी।

13. प्रवेश रद्द करना:- यदि यह पाया गया कि कोई उम्मीदवार संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर अथवा सुसंगत तथ्यों को छुपाकर प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात् प्रमाण-पत्र फर्जी पाये गये एवं चूकवश प्रवेश मिल गया है तो उम्मीदवार को दिया गया प्रवेश संस्था द्वारा उसके प्रशिक्षण काल के दौरान तुरंत रद्द किया जायेगा। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद में मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म. प्र. का निर्णय अंतिम होगा।

14. प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरांत न्यूनतम 3 वर्ष हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर पर कार्य सम्पादन, अनिवार्य:-

- 15.1 प्रशिक्षण में प्रवेश के समय उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर पर 3 वर्ष निरंतर कार्य सम्पादन के लिये सहमति का राशि रूपये दो लाख का बंध-पत्र (Bond) राशि रूपये 500/- के स्टाम्प पेपर पर पस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 15.2 प्रशिक्षण के अंतिम माह में परीक्षा पूर्ण होने के बाद प्रशिक्षणार्थी से पदस्थापना हेतु चॉइस फिलिंग कराई जायेगी। सिर्फ उन्ही प्रशिक्षणार्थियों को चॉइस फिलिंग की अनुमति दी जायेगी जिनके पास नर्सिंग/आयुष परिषद का पंजीयन होगा। एवं जिनकी सभी क्लीनिकल पोस्टिंग पूरी हो गई हों तथा उपस्थिति पूरी रही हो।
- 15.3 प्रावधिक पदस्थापना (Provisional Posting) के दौरान मानदेय एवं प्रोत्साहन राशि के संबंध में निम्नलिखित बिन्दु लागू होंगे:
- 15.3.1 सामान्यतः सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्प्युनिटी हैल्थ प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के पश्चात् ही प्रशिक्षणार्थियों को संविदा कम्प्युनिटी हैल्थ ऑफिसर्स के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा। आकस्मिक परिस्थितियों में, आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण पूर्ण होने एवं Term End Exam के बाद विकल्प-चयन आधार पर प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षु कम्प्युनिटी हैल्थ ऑफिसर नियुक्त किया जा सकता है। प्रशिक्षु अवधि में मासिक मानदेय रु. 15,000/- प्रतिमाह होगा।
- 15.3.2 प्रशिक्षु कम्प्युनिटी हैल्थ ऑफिसर्स द्वारा सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्प्युनिटी हैल्थ प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के बाद आगामी माह से उन्हें संविदा कम्प्युनिटी हैल्थ ऑफिसर्स पद पर नियुक्त दी जायेगी।

- 15.3.3 प्रशिक्षु कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर्स के पदस्थापना स्थल में परिवर्तन, हेतु आवेदन मान्य नहीं होगा।
- 15.4 संविदा कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर्स पदस्थापना हेतु मानदेय एवं प्रोत्साहन राशि – सफलता पूर्वक सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हैल्थ प्रशिक्षण उत्तीर्ण होने के उपरान्त प्रशिक्षणार्थी को संविदा आधार पर कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर के रूप में हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर में कार्य करने हेतु आदेशित किया जावेगा। इस दौरान इन्हें एन.एच.एम. मध्यप्रदेश के निर्धारित मानदेय रू 25,000/- प्रतिमाह के अतिरिक्त कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि अधिकतम रू 15,000/- प्रतिमाह तक प्रदान की जावेगी।
- 15.5 उपस्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर्स ग्रामीण एवं दूर दराज क्षेत्रों में स्थित स्वास्थ्य संस्थायें हैं। यहां पर पदस्थ कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर्स को मुख्यालय अर्थात् उपस्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर ही निवास करना होगा। ऐसा न करने पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा पदस्थापना निरस्त करते हुये बाण्ड राशि वसूलने की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।
- 15.6 कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर्स को प्रायवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं है। प्रशिक्षणार्थी/कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर-प्रशिक्षु/कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर द्वारा निजी तौर पर व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाय करते पाये जाने अथवा प्रमाणित होने की स्थिति पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा पदस्थापना निरस्त करते हुये बाण्ड राशि वसूलने कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।
15. सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हैल्थ प्रशिक्षण में चयन के लिये विज्ञापित सीटों की संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन संबंधी कार्यवाही के लिये मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सक्षम होंगे।
16. सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हैल्थ में प्रवेश हेतु चयन एवं प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर के रूप में पदस्थापना के लिये नीति के निर्धारण एवं नियम के अर्थ लगाने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र. अंतिम प्राधिकारी रहेगा।
17. प्रवेश प्रक्रिया नियमों में संशोधन का अधिकार :-
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया/प्रशिक्षण केन्द्र/उपलब्ध स्थान/सीटों की संख्या में किसी भी समय संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। इस तरह किया गया कोई भी संशोधन मान्य करना बंधनकारी होगा।
18. प्रशिक्षण अवधि में पालन की जाने वाली अनिवार्य शर्तें एवं नियम :-
सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हैल्थ प्रशिक्षण में प्रवेश के उपरान्त उम्मीदवार को जिन नियमों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा वे नियम परिशिष्ट – 'स' में दिये गये हैं।
19. उम्मीदवार को आवेदन पत्र जमा करने से पहले नियम पुस्तिका में दिये गये निर्देशों और दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है।

घोषणा पत्र

1. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
2. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे किसी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरुद्ध इस प्रकार का कोई भी प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
3. प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने में चयन होने के उपरांत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में मेरी पदस्थापना ग्रामीण उपस्वास्थ्य केन्द्रों पर की जायेगी एवं वहां रह कर सवायें न देने की स्थिति में मुझे सेवा से पृथक कर दिया जायेगा। मैं इससे सहमत हूँ।
4. मैंने नियम पुस्तिका अध्ययन कर लिया है एवं उसमें वर्णित प्रावधानों/नियमों को मानने के लिये सहमत हूँ।

दिनांक

स्थान.....

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ हेतु सीटों का विवरण

सत्र (उपलब्ध स्थान)	क्र. सं.	प्रशिक्षण केन्द्र	उपलब्ध स्थान
MPMSU जून-सितंबर 2021 (585) अक्टूबर 21-मार्च 2022 (585) कुल 1170	1	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय उज्जैन	65
	2	RHFWTC जबलपुर	65
	3	RHFWTC ग्वालियर	65
	4	जी.एन.एम.टी.सी. सिवनी	65
	5	जी.एन.एम.टी.सी. दतिया	65
	6	रानी दुर्गावती शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय जबलपुर	65
	7	चौथराम नर्सिंग महाविद्यालय इंदौर	65
	8	जबलपुर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस, जबलपुर	65
	9	कुशाभाऊ ठाकरे नर्सिंग महाविद्यालय भोपाल	65
IGNOU जुलाई-दिसंबर 2021 (1680)	1	जिला चिकित्सालय भोपाल (जे.पी. हॉस्पिटल)	60
	2	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय भोपाल	60
	3	पीपल्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग, भोपाल	60
	4	कुशाभाऊ ठाकरे नर्सिंग महाविद्यालय भोपाल	60
	5	प्रज्ञान कॉलेज ऑफ नर्सिंग, भोपाल	60
	6	शासकीय रानी दुर्गावती नर्सिंग महाविद्यालय जबलपुर	60
	7	राज्य स्वास्थ्य प्रबंधन एवं संचार संस्थान (SIHMC) ग्वालियर	60
	8	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय इन्दौर	60
	9	चौथराम कॉलेज ऑफ नर्सिंग इन्दौर	60
	10	जिला अस्पताल सागर	60
	11	जी.एन.एम. टी.सी. देवास	60
	12	जी.एन.एम. टी.सी. रतलाम	60
	13	जबलपुर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस	60
	14	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, जबलपुर	60
	15	जिला चिकित्सालय धार	60
	16	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय उज्जैन	60
	17	जी.एन.एम.टी.सी. रायसेन	60
	18	जी.एन.एम.टी.सी. विदिशा	60
	19	जी.एन.एम.टी.सी. झाबुआ	60
	20	जी.एन.एम.टी.सी. दतिया	60
	21	RHFWTC जबलपुर	60
	22	जिला चिकित्सालय, शिवपुरी	60
	23	जिला चिकित्सालय, सतना	60
	24	चिरायु कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल	60
	25	एल एन कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल	60
	26	जिला चिकित्सालय, शहडोल	60
	27	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय ग्वालियर	60
	28	RHFWTC ग्वालियर	60

सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ प्रशिक्षण हेतु नियम एवं शर्तें

1. सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ प्रशिक्षण की अवधि 06 माह की होगी।
2. सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम एवं परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा।
3. प्रशिक्षण के दौरान एक प्रोग्राम स्टडी सेन्टर से दूसरे प्रोग्राम स्टडी सेन्टर में स्थानांतरण का प्रावधान नहीं है।
4. प्रभारी प्रशिक्षण केन्द्र अथवा (प्रोग्राम इन चार्ज) द्वारा प्रशासकीय दृष्टि से बनाये गये नियमों का पालन करना उम्मीदवार के लिये अनिवार्य होगा।
5. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन/प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रभारी (प्रोग्राम इन चार्ज)/प्रशिक्षण केन्द्र प्रभारी द्वारा प्रसारित निर्देशों का पालन ना करने पर अथवा प्राचार्य की शिकायत के आधार पर उम्मीदवार के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए प्रशिक्षण से निष्कासित करने का अधिकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को होगा।

मिशन संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश